राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 937–तीन / 14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20 – 5 –15	यह निगरानी प्रकरण लोक अदालत के समक्ष सुनवायी हेतु प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। 2/ आवेदक श्रीमती रामकली पत्नी रमेश सेहर ने ग्राम गांगुली जिला शिवपुरी स्थित अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि कुल किता 11 कुल रकबा 3.39 हे0 पैत्रिक भूमि विक्रय करना चाहती है। आवेदक व्दारा भूमि विक्रय के पश्चात उसके भूमिस्वामी स्वत्व में ग्राम जाखनौद में साढे ग्यारह बीघा भूमि शेष रहना दर्शाया है जो उसके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। आवेदक उक्त भूमि विक्रय कर अन्य शेष भूमि पर सिंचाई हेतु कुए का निर्माण करना चाहती है जिससे फसल का अच्छा लाभ मिल सके। विक्रय की जाने वाली भूमि असिंचित तथा अनुपजाऊ होने से फसल का अच्छा लाभ नहीं होना दर्शाया गया है। 3/ प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है तथा भूमि विक्रय के बाद भी उसके भूमिस्वामी स्वत्व में साढ़े ग्यारह बीघा भूमि शेष रहती है, इसलिये न्यायहित में	

प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है–

1. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हों।
1. आवेदक को विक्रय राशि का भुगतान रजिस्टार के समक्ष किया जावे ।
2. आवेदक द्वारा पूर्व में जिस व्यक्ति से भूमि का विक्रय अनुबंध किया गया है, उसी को भूमि का विक्रय किया जाय ।

4/उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। आयुक्त, ग्वालियर संभाग का अपील प्र0क0 91/13–14 में पारित आदेश दिनांक 17–02–14 तथा अपर कलेक्टर, शिवपुरी का आदेश दिनांक 21–01–14 निरस्त किये जाते हैं। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस भेजा जाय तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(मुकेश बेलापुरकर)
सदस्य
लोक अदालत

(एम0के0सिंह)
अध्यक्ष
लोक अदालत

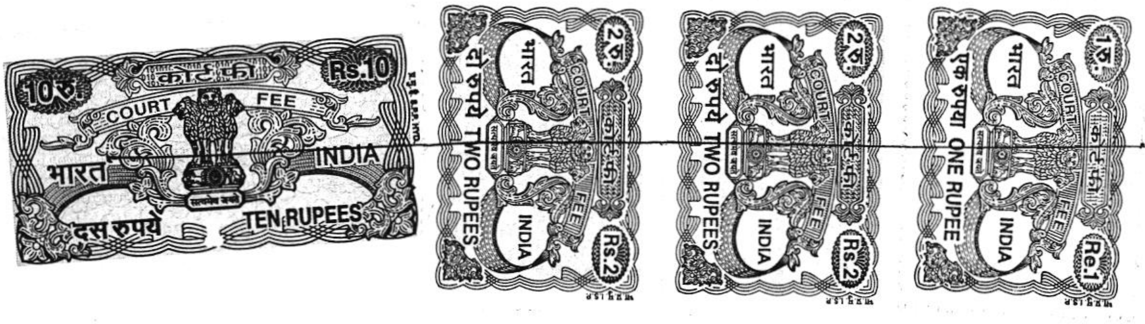

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   / 2014 निगरानी R 937-III/14

श्रीमती रामकली पत्नी रमेश सेहर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन ... रेस्पोडेंट

दिनांक 19-3-14 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत
19-3-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/ 2013– 14 /अपील में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 के विरूद्व निगरानी समयावधि मे प्रस्तुत है ।

19-3-14

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से ~~अपील~~ निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपतय की भूमि स्थित ग्राम गांगुली जिला शिवपुरी में सर्वे क्रमांक 17, 19, 20 , 27 , 23, 29, 30, 31, 35, 36, 37 कुल सर्वे 11 कुल रकवा 3.39 हेक्टर स्थित होकर कृषि कार्य कर रहा है उक्त भूमि आवेदक की पैत्रक भूमि है उकत भूमि को आवेदक विक्रय करना चाहती है इसके अलावा ग्राम जाखनौद में 11½ बीघा जमीन शेष रहेगी जो जीविको पार्जन हेतु पर्याप्त है।

शाखा प्रभारी (...)
कार्यालय महाधिवक्ता, ...

2. यहकि, आवेदक द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष धारा 165 (6) म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत उक भूमि को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण क्रमांक 17/ 2013–14 / अ–21(1) पर दर्ज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा